नक्शा में इस जगह पर खसरा नंबर 238/1 की हुई है।
अतः वर्तमान लट्ठा नक्शा में रिपोर्ट में दर्ज नजरी नक्शे अनुसार लाल स्याही से दर्शाये खसरा नंत्र 238/1, 238/2, 238/7 एवं 238/8 की तरमीम को वर्तमान नक्शा में DILRMP में वन टू वन मैपिंग की तरमीम दुरस्ती करने का निवेदन किया।

हमनें पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 एवं सम्वत् 2061 से 2064 तथा इससे सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 609, 684, 808, 967, 1321, 1325, 1355, 1931, 1959, 1972, 2073, 2150 व 2537 का अवलोकन किया। खातेदार आशा पत्नी नरेन्द्र नाथ के पक्ष में निष्पादित बैचाननामा में इन्द्राज पड़ौसों की मौका अनुसार जांच करवायी गई। रिपोर्ट के संलग्न राजस्व लट्ठा नक्शा की प्रमाणित प्रति खसरा नं. 238 में खसरा नं. 238 मिन 5 एवं पुराना लट्ठा नक्शा की प्रतिलिपि खसरा नं. 238 में खसरा नं. 238/1 की तरमीम का परीक्षण किया, दोनो नक्शा ट्रेश प्रमाणित प्रतिलिपियों में तरमीम में भिन्नता पाई गई। चूंकि इस कारण से रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उक्त रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार लूणी जरिये सरकार अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते हैं कि माफिक प्रस्तावित जांच रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी सालावास की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व लट्ठा नक्शा में ग्राम सालावास के खसरा नं. 238 रकबा 35.03 बीघा एवं खसरा नं. 854/241 रकबा 19.09 बीघा के मध्य की माठ बिन्दु संख्या सी डी ई एफ जो लाल स्याही से अंकित अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती करें तथा प्रस्तावित खसरों की DILRMP में वन टू वन मैपिंग करते हुये खसरा नं. 238/1 रकबा 4.00 बीघा की तरमीम नियमानुसार करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

05/6/20

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner